प्रेषक,

पुलिस उपमहानिरीक्षक
अग्निशमन एवं आपात सेवा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक– डीजी–आठ–156/2021(1) दिनाँकःअप्रैल 21 2021

विषयः– SOPs For Fire Prevention and Rescue In COVID Hospitals.

महोद्य,

उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण जिला प्रशासन द्वारा सरकारी चिकित्सालयों के साथ ही जनपद के कतिपय निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम/अन्य संस्थानों को भी कोविड केयर सैंटर के रुप में स्थापित किया जा रहा है। अतः ऐसे सभी चिकित्सीय/अन्य संस्थानों जिनमे कोविड संक्रमित व्यक्तियों के उपचार सम्बन्धी गतिविधियॉ प्रचलित हैं अथवा आगामी समय में प्रचलित होंगी उनमें अग्निसुरक्षा सम्बन्धी निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1– समस्त विद्युत फिटिंग्स तथा कनैक्शन को चैक कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कोई भी विद्युत वायरिंग लूज न हो।

2– अस्पताल भवन के इलैक्ट्रिक सिस्टम का किसी प्रमाणित विद्युत इंजीनियर से परीक्षण कराकर उसकी कुशलता की जॉच कराना सुनिश्चित करें।

3– वैंटीलेटर या अन्य किसी विद्युत उपकरण को जोड़े जाने से पूर्व अपने इलैक्ट्रिक इंजीनियर से परामर्श प्राप्त कर लें।

4– एयर कंडीशनर/इलैक्ट्रिक फिटिंग्स/स्विच बोर्ड के पास किसी पर्दे, सेनेटाइजर, मास्क, पीपीई किट अथवा अन्य किसी प्रकार से आसानी से जलने वाली वस्तु को नहीं रखेंगे।

5– कोविड आईसीयू में किसी प्रकार के धुऐं की तत्काल जानकारी प्राप्त करने के लिए VESDA(very early Smoke Detection Appratuas) स्थापित करेंगे।

6– किसी अग्निदुर्घटना की स्थिती में आईसीयू की क्षमता के न्यूनतम 3/4 संख्या में इस्केप/सेवर सैट ELSA(Emergency Life Saving Apparatus) Escape Set 15min Duration 02 sets) का प्राविधान करें तथा समस्त सिक्योरिटी एवं मेडिकल स्टाफ को इस्केप/सेवर सैट के प्रयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

7– कोविड वार्ड के सुरक्षा गेट पर न्यूनतम 20 सैट जिनमें से प्रत्येक मे 02 फेस मास्क तथा एक फेस शील्ड हो हर समय उपलब्ध रखेंगे।

8– समस्त निकास मार्गों को सदैव अवरोधमुक्त रखेंगे तथा प्रत्येक तल में आकस्मिक परिस्थितियों में निकास योजना का प्रदर्शन (Escape Plan) किया जाना आवश्यक होगा।

9– सभी निकास मार्गों पर प्रदीप्त संकेत (Signages) चिन्हों का प्राविधान किया जाए तथा इन संकेत चिन्हों हेतु आपातकालीन विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सदैव बनाए रखी जाए।

10– विद्युत वायरों को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए अतिरिक्त उपकरणों जैसे वाटर हीटर, मोबाईल चार्जर आदि के प्रयोग का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे विद्युत वायरों में ओवरहीटिंग के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।

11– सम्पूर्ण भवन हेतु सार्वजनिक भाषण व्यवस्था (Public Address System) की व्यवस्था की जाए।

12– समस्त चिकित्सकों, नर्सिंग एवं अन्य स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन एवं निकास प्रणाली की जानकारी अवश्य प्रदान की जाय।

13– समस्त अग्निशमन उपकरणों को प्रत्येक समय कार्यशील दशा में बनाए रखा जाए।

14– अग्निशमन सुरक्षा हेतु 01 से 02 व्यक्तियों को भवन परिसर में सदैव (**24x7**) तैनात रखा जाए। इन व्यक्तियों को भवन में उपलब्ध अग्निशमन उकपरणों (फायर एक्सटिंग्यूषर/होजरील/फायर हाइड्रैण्ट आदि) के संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।

15– उपरोक्तानुसार अग्निसुरक्षा प्राविधान न किए जाने की स्थिती में घटित किसी अग्निदुर्घटना/अप्रिय घटना हेतु अस्पताल स्वामी/प्रबन्धन उत्तरदायी होंगे।

16– कोविड केयर हॉस्पिटल/सेण्टर में किसी भी प्रकार का कण्डम समाग्री, कूड़ा–करकट अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नही करेंगे। इस प्रकार की समाग्री कोविड केयर हॉस्पिटल/सेण्टर से बाहर अथवा 100 मीटर दूर होना अनिवार्य है ताकि आग लगने पर धुँआ हॉस्पिटल तक न पहुँच सके।

17– आईसीयू वार्ड के आस–पास, ऊपरी तल एवं निचले तल में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नही किया जाएगा। मास्क, सेनेटाइजर, पीपीई किट इत्यादि को सुरक्षित स्थल पर रखा जाए। किसी भी प्रकार की ज्वलनशील समाग्री का भण्डारण कोविड हॉस्पिटल परिसर से बाहर किया जाए।

अतः अनुरोध है, कि सम्बन्धित विभागों को उक्त एस0ओ0पी0 का अनुपालन कराये जाने तथा स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अग्निशमन अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये अग्निसुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित मॉक ड्रिल शीघ्र कराये जाने हेतु अपने स्तर से दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

29/4/21

(मुख्तार मोहसिन)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आ0कार्य0 हेतु।

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, स्वास्थ्य निदेशालय सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।